मनरेगा दिवस- जिम्मेदारी के साथ विकास

सप्ताह के प्रत्येक 'बुधवार' को राज्य में 'मनरेगा दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है । इसके तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्ण किए गए सभी कार्यो एवं 2012-13 में नरेगा वेबसाईट पर दिखाई गई अपूर्ण या चालू योजनाओं की जॉच की जाती है । जिला पदाधिकारी द्वारा नामित वरीय उप समाहर्ता/अपर समार्हता/अपर जिला दण्डाधिकारी के अतिरिक्त सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता जांच दल में रहते हैं । प्रत्येक प्रखंडों के कम से कम एक पंचायत की सभी योजनाओं की समग्र जॉच मनरेगा दिवस को हाती है । प्रखंड के किस पंचायत में जांच की जानी है उसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा सोमवार को प्रखंड कार्यालय में भेजा जाता है । मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा चयनित पंचायत में डुगडुगी बजवाकर प्रचार कराया जाता है कि, इस पंचायत में बुधवार को जांच होनी है । एक जांच दल को जांच के एक चक्र में किसी प्रखंड में दोबारा नहीं भेजा जाता है । जांच दल को मनरेगा संबंधी सभी परिपत्रों की प्रति दी जाती है । प्रत्येक जांच दल जांच से लौटने के बाद बुधवार शाम को ही जिला पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में पूरा जांच प्रतिवेदन सौंप देता है । किसी योजना की विस्तृत मापी की आवश्यकता पड़ने पर यदि उक्त दिवस को यह संभव नहीं हो पाया तब इसे आगे जारी रखा जाता है । पूर्ण जांचोपरापंत ही विहित प्रपत्र में पूरा प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी अपने प्रखंड में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में ली गई योजनाओं से संबंधित आवश्यक अभिलेख, मस्टर रॉल, मापी पुस्तिका, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की पंजी, आदि जांच प्रक्रिया से पूर्व तैयार रखते हैं और जांच दल के प्रखंड मुख्यालय पहुंचने पर चयनित पंचायत के कागजात उन्हें सौंप देते हैं । पंचायतों की योजनाओं की पहले विषम क्रमांक यथा 1, 3, 5 के अनुसार जांच की जाती है इसके पूरा होने के बाद सम क्रमांक की योजनओं की जांच की जाती है, लेकिन प्रत्येक बुधवार को अलग-अलग दलों द्वारा जांच की जाती है । पारदर्शिता के दृष्टिकोण से पंचायत वार जांच हेतु रोस्टर का निर्धारण किया जाता है, ताकि आम जनता को भी इसकी सहज जानकारी उपलब्ध हो सके ।

जाँच के प्रमुख बिन्दु

जाँच दल योजनओं के कार्यान्वयन, कामगारों को जॉब कार्ड एवं पास बुक की उपलब्धता, कार्य स्थल पर विस्तृत जानकारी देता बोर्ड, सृजित सम्पति की गुणवत्ता, उपयोगिता कार्यान्वयन में मजदूरी एवं सामग्री के लिए 60:40 का अनुपात आदि बिन्दुओं पर जाँच करते है । इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा पारित वार्षिक कार्य योजना के प्राथमिकता क्रम के अनुरूप योजना का चयन हुआ है अथवा नहीं, पंचायत में महादलित परिवारों की कुल संख्या तथा कितने महादलित मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है जैसे बिन्दुओं की जाँच की जाती है ।